कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

संख्या ....

दिनांक..............................

कार्यालय आदेश

जन भवन के पत्र दिनांक 21.06.2026 के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नवत् **'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति'** (Task Force) का गठन किया जाता हैः–

1. प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष स्तर से नामित एक–एक सहायक आचार्य व दो छात्र–छात्राएं।
2. प्रत्येक अनुभाग में उपकुलसचिव व सहायक कुलसचिव द्वारा नामित एक–एक कर्मचारी
3. छात्रावासों में प्रोवोस्ट द्वारा नामित दो छात्र व दो छात्राएं

अतः समस्त से अनुरोध है कि दिनांक 31 जुलाई 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षान्त समारोह के आयोजन से पूर्व संलग्न जनभवन पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का विश्वविद्यालय परिसर में कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और सप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

संलग्नक : यथोपरि।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या GA-12776-82 **दिनांक**–13/07/2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज को इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने विभागों में विभागाध्यक्ष स्तर से एक–एक सहायक आचार्य व दो छात्र–छात्राओं को नामित करते हुए जन भवन के संलग्न पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. समस्त उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने अनुभागों में एक–एक कर्मचारी को नामित कतरे हुए जन भवन के संलग्न पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. चीफ् प्रोवोस्ट को इस जनभवन का पत्र संलग्न कर आशय से प्रेषित कि समस्त छात्रावासों में दो छात्र व दो छात्राए नामित करते हुए जन भवन के संलग्न पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. श्री जे0बी0 सिंह, सेनेटरी इंस्टेपक्टर, को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के विभागों, अनुभागों व छात्रावासों के अतिरिक्त शेष परिसर में जन भवन के संलग्न पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (जनपद–लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई) को जनभवन का पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जनभवन द्वारा बिन्दु संख्या–V में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपने–अपने महाविद्यालयों में **'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force)** का गठन करते हुए जन भवन के संलग्न पत्र में प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या i से vi में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइड में अपलोड करने कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

ई–मेल द्वार

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई-4072 /32-जी.एस / 2026

दिनांकः 21/06/ ,2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति / निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता औ संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं उनसे सम्ब महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:–

i. विश्वविद्यालय / संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवन विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तर प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय / संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटी हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज / पत्ते के ब बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच / स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रू से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मु परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड / होर्डिंग लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय / संस्थान स्तर पर ए 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जै प्रत्येक शनिवार / शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों / संस्था

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

vi. परिसरों को स्वच्छ
प्रत्येक शनिवार / शु